न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 26/2019 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00065

उनवान

1. मेघ सिंह पुत्र श्री हरिविलास उम्र करीब 59 वर्ष जाति निषाद निवासी ग्राम नटुआपुरा तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री टीकम सिंह जाति ठाकुर निवसी ग्राम दौलताबाद तहसील किरावली जिला आगरा।
2. फूलसा पुत्र श्री कल्लू जाति सांई निवासी ग्राम गडराई तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 18.04.2019 प्र0स0 क्रमशः 96/15 उनवान मेघ सिंह बनाम जगदीश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 24.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 एक वाद 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 वाके ग्राम वेरखेडा तहसील राजाखेडा को वादी अपीलाण्ट ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.1994 को क्रय किया था। वादी अपीलाण्ट ने वयनामा की प्रति पटवारी को नामान्तकरण खोलने बाबत् दे दी थी। अतः वादी अपीलाण्ट आश्वस्त हो गया कि विवादित आराजी बाबत् पटवारी हल्का उनका नामान्तकरण खोल देगा। परन्तु पटवारी हल्का ने वयनामा के आधार पर वादी अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला एवं विवादित आराजी प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती रही। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 ने विवादित आराजी को

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील

अन्य आराजी के साथ दिनांक 29.09.2014 को प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 जब विवादित आराजी पर आये एवं वादी अपीलाण्ट को काश्त करने से रोका एंव धमकी दी, तो वादी अपीलाण्ट को उक्त तथ्य ज्ञात हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराज़ी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2019 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि वादी अपीलाण्ट का वयनामा सन् 1994 का अर्थात पूर्व का है। जबकि रैस्पो0 संख्या 01 का वयनामा पश्चातवर्ती सन् 2014 का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार रैस्पो0 संख्या 02 को विवादित आराजी का वयनामा कराने के अधिकार ही खत्म हो गये। अतः पश्चातवर्ती वयनामा शून्य की श्रेणी में आता है। रैस्पो0 संख्या 02 विवादित आराजी को पुनः विक्रय नहीं कर सकता है। रैस्पो0 संख्या 02 ने वादी अपीलाण्ट का वयनामा सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं कराया, अतः वयनामा वादी अपीलाण्ट आज भी प्रभावी है। पश्चातवर्ती क्रेता ना तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये एवं ना ही उन्होनें वादी अपीलाण्ट के दावे को प्रतिवाद ही किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2009–10(सप्ली0) पेज 411 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को सन् 1994 में रैस्पो0 संख्या 02 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। विक्रय पत्र के आधार पर वादी अपीलाण्ट का किन्ही कारणो से दाखिला नहीं खुलने एवं विवादित आराजी विक्रेता रैस्पो0 संख्या 02 के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का लाभ लेते हुये, विक्रेता रैस्पो0 संख्या 02 ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 के साथ– साथ अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 29, 30 व 731 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रैस्पो0 संख्या 01 को विक्रय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी का पूर्ववर्ती विक्रय वादी अपीलाण्ट के पक्ष में किये जाने एवं कब्जा भी संभला दिया जाना तो माना है। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर 20 वर्ष तक दाखिला बाबत् कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। हम पाते हैं कि जब प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 विवादित भूमि खसरा नम्बर 31 को वादी/अपीलाण्ट के लिये विक्रय कर कब्जा संभला चुका था, तो उसी दिन से विवादित आराजी पर से उनके हक समाप्त हो गये। अतः उन्हें विवादित आराजी को पुनः विक्रय करने के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। इसके अलावा क्रेतागण ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में उपस्थित हुये हैं, जो उनकी वादी अपीलाण्ट के

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेम
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रति मौन स्वीकृति को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय में विक्रेता प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्होनें विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 को वादी अपीलाण्ट के लिये ना तो विक्रय किया एवं ना ही कब्जा संभलाया। अतः विक्रय पत्र कूटरचित है। परन्तु उनके द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि विक्रय पत्र कूटरचित था तो विक्रेता प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 द्वारा उसे निरस्त कराने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी हो, ऐसा भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर के आलोक में हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2019 निरस्त किये जाकर वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील राजाखेडा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या– 26/2019 (223 आर.टी.एक्ट.)

अपील संख्याः- 26/19 (223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :-2019/00065

उनवान

1. मेघसिंह पुत्र श्री हरिविलास उम्र करीब 59 वर्ष जाति निषाद निवासी ग्राम नटुआपुरा तहसील व जिला मुरैना म0प्र0।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री टीकम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम दौलताबाद तहसील किरावली जिला आगरा।
2. फूलसा पुत्र श्री कल्लू जति सांई निवासी गडराई तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा वहैसियत लैण्ड होल्डर ज़िला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा दिनांक 18.04.2019 प्र.स. 96/15 उनवानी मेघसिंह बनाम जगदीश।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2019 निरस्त किये जाते है।** बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....24.....माह.....07.....सन्.....2024.....को जारी की गई।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
दस्तखत.....
राजस्व अपील प्राधिकारी
औहदा.....भरतपुर (राज.)

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
दस्तखत.....
राजस्व अपील प्राधिकारी
औहदा.....भरतपुर (राज.)

मुहर